न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021 / 229

1. कजोड पुत्र गोरया आयु 60 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नाथू पुत्र गोरया आयु 70 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानुपरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामलाल पुत्र गोरया आयु 55 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. काली पत्नी स्व0 श्री कल्याण आयु 65 जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. घींसी पुत्री स्व0 श्री कल्याण पत्नी रामदयाल आयु 35 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम सुन्थली ग्राम पंचायत सुवानिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. शंकर पुत्र श्री कल्याण आयु 30 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. छोगा पुत्र केसरा आयु 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. रतिराम पुत्र केसरा आयु 55 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. ज्योति पुत्री खाना पत्नी महावीर आयु 35 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम रूणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. पप्पू पुत्र खाना आयु 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी मेडिकल कॉलेज सरस डेयरी के पीछे बॉम्बे योजना रोड, आर0के0 पुरम कोटा ।
11. ललिता उर्फ पिंकी खाना पत्नी रणजीत आयु 34 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम भजनेरी हाल निवासी मेडिकल कॉलेज सरस डेयरी के पीछे बॉम्बे योजना रोड, आर0के0 पुरम कोटा ।
12. सुरेश पुत्र खाना आयु 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. हंसराज पुत्र खाना आयु 25 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवसा जिला बून्दी हाल निवासी मेडिकल कॉलेज सरस डेयरी के पीछे बॉम्बे योजना रोड, आर0के0 पुरम कोटा ।
14. खानी पत्नी भूरू आयु 70 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

15. नर्बदा पुत्री भैरूलाल पत्नी अशोक आयु 45 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. महावीर पुत्र भैरू आयु 42 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी फर्नीचर की दुकान इण्डिया गेट के पास सांगानेर जयपुर ।
17. रामप्यारी पुत्री भैरूलाल पत्नी बजरंगा आयु 40 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम पीपरवाला ग्राम पंचायत खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. रामावतार पुत्र भैरूलाल आयु 38 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र रामचन्द्र आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामसहाय पुत्र रामचन्द्र आयु 55 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. छोटू पुत्र बजरंगा आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. प्रभू पुत्र बजरंगा आयु 70 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. फूल्या उर्फ रामफूल पुत्र बजरंगा आयु 65 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. बाबू पुत्र बजरंगा आयु 52 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. सोजी पुत्र बजरंगा आयु 37 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. धन्नालाल पुत्र कल्याण आयु 55 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. पप्पूलाल पुत्र कल्याण आयु 45 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. रामलाल पुत्र कल्याण आयु 40 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. राममूर्ति पुत्री धन्नी बाई पत्नी किशन गोपी आयु 35 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

12. कौशल्या बाई पुत्री धन्नी बाई आयु 30 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. मनीषा बाई पुत्री धन्नी बाई पत्नी मुकेश आयु 28 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. हंसा बाई पुत्री धन्नी बाई आयु 27 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. महावीर पुत्र धन्नी बाई आयु 26 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. मधुबाला पुत्री धन्नी बाई आयु 21 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. प्रहलाद पुत्र श्री किशन आयु 55 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. भूरी बाई पुत्री श्री किशन पत्नी गोपी आयु 70 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी अल्लाहपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

<u>निर्णय</u> दिनांक: 28.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 11.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 18 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आवं काखेडा तहसील नैनवा में कुल किता 19 की रकबा 3.7213 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है । ग्राम आवं के खेडा में कुल किता 05 की रकबा 1.6341 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 13 के खातेदारी की भूमि है । इसी प्रकार ग्राम आवं का खेडा में कुल किता 02 की रकबा 0.4692 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीग क्रम 14 लगायत 18 के खातेदारी में स्थित है । प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर

110 की भूमि पर काश्त करने सम्बन्धी कार्यों से पैदल, गाडी बैल, ट्रेक्टर ट्रोली से आवागमन करने का वर्षों दराज पुराना रास्ता आवं का खेडा में बडे माल का घाटा पर स्थित पुलिया जो खसरा नम्बर 307 गै0मु0 खाल पर बनी हुई है पर से होता हुआ खसरा नम्बर 118 व 117 में होता हुआ खसरा नम्बर 116, 115 एवं 114 की दक्षिणी साईड पर होता हुआ खसरा नम्बर 113 की उत्तरी साईड से होता हुआ खसरा नम्बर 110 में पहुंचता है । यह रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है जो 15 फुट चौडा रास्ता है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है । प्रार्थीगण उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है । उक्त रास्ते में जो भी भूमि आएगी उसका प्रार्थीगण प्रतिकर जमा कराने को तैयार हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से प्रदर्शित 15 फिट चौडे रास्ते को रास्ता घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते का अंकन किया जावे । अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट खानपुरा में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 11.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 0.5663 हैक्टर भूमि आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 118 में से 11 * 2 गठ्ठा = 489.378 वर्गफीट, खसरा नम्बर 117 में से 45 * 2 गठ्ठा = 2002.005 वर्गफीट, खसरा नम्बर 115 में से 38 * 2 गठ्ठा = 1690.5782 वर्गफीट, खसरा नम्बर 114 में से 25 * 2 गठ्ठा = 5427.6554 वर्गफीट परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर कोर्ट कैम्प में ले जाकर एकपक्षीय व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का असवर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट खानपुरा में अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलान्टगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.11.2021 को अपने अभिभाषक से मिलने एवं जानकारी करने पर हुई जिस पर उसी दिन

अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने के उपरान्त यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 18 के द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज कर अपीलान्टगण को नोटिस जारी किये गये । दिनांक 10.08.2021 को अप्रार्थीगण कम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15 एवं 18 के द्वारा जरिये अभिभाषक वकालतनामा पेश किया गया । शेष की तलबी के लिए पेशी दिनांक 26.08.2021 नियत की गई । दिनांक 26.08.2021 को जवाब हेतु दिनांक 04.10.2021 पेशी नियत की गई परन्तु परीक्षण न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को पेशी नहीं देकर कैम्प कोर्ट खानपुरा में ले जाकर दिनांक 11.10.2021 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई एवं जवाब का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय को यह देखना भी आवश्यक था कि वहॉ पर पूर्व में कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही खेत के बीचों बीच रास्ता दिया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील विलम्ब से पेश की और विलम्ब के कोई स्पष्ट संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 18 के द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज कर अपीलान्टगण को नोटिस जारी किये गये । दिनांक 10.08.2021 को अप्रार्थीगण कम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15 एवं 18 के द्वारा जरिये अभिभाषक वकालतनामा पेश किया गया । शेष की तलबी के लिए पेशी दिनांक 26.08.2021 नियत की गई । दिनांक 26.08.2021 को जवाब हेतु

दिनांक 04.10.2021 पेशी नियत की गई परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त नियत पेशी दिनांक 04.10.2021 को कोई तारीख पेशी नहीं देकर सीधे ही दिनांक 11.10.2021 को कैम्प कोर्ट खानुपरा में ले जाकर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में कैम्प कोर्ट में उपस्थिति के प्रार्थी कम 01 चतुर्भुज के अंगूठा निशानी एवं रामसहाय, सोजीलाल, छोटू एवं महावीर के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को पेश हुई थी परन्तु दिनांक 04.10.2021 की कोई आदेशिका अंकित नहीं है । पत्रावली सीधे ही दिनांक 11.10.2021 को कैम्प कोर्ट में रखी गई । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने उसकी भूमि के बीचों बीच रास्ता दिये जाने पर आपत्ति की है, यह आपत्ति अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में सुनवाई के समय रख सकते हैं । इस बिन्दु पर अभी कोई अभिमत दिया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से समयबद्ध रूप से पत्रावली प्राप्ति के 60 के अन्दर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा